The Sameeksha Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol 1, Issue 1 - 2017

सरकारी कार्यक्रमों का निर्धनता उन्मूलन से सम्बन्ध

डॉ. पदमा त्रिपाठी*

सारांश

औरैया जिले में गरीबों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वे के अनुसार **42** प्रतिशत के आसपास रही है। इनमें कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जो कि दो वक्त की रोटी को भी मुहताज हैं। पौष्टिक आहार की कल्पना करना उनके लिये बहुत बड़ी बात है। उनके सामने हर कोई समस्या है। आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या आदि। सर्दी उनके लिये बहुत बड़ी परेशानी लेकर आती है। बरसात में पानी से उनका बुरा हाल होता है। उनकी झोपड़ियों में बारिश का पानी ऊपर से भी टपकता है और जल भराव से अन्दर भी आ जाता है। उनके पास कपड़ों का निरन्तर अभाव है। कुल मिलाकर बड़ी दयनीय स्थिति है। रोटी की समस्या तो उनकी हर समय की है। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सरकार द्वारा उनको चिन्हित करके उनकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए और ईमानदारी से उसके ऊपर कार्य किया जाये, जिससे ऐसे परिवारों का विकास हो सके। इस सन्दर्भ में अमर्त्य सेन का यह कथन महत्वपूर्ण है कि "गरीबी कोई आर्थिक वर्ग नहीं है। गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके लिये गरीबी की समस्या का हल करने के लिये स्वयं गरीबी की समस्या से परे जाना होगा।" जनपद में निर्धनता निवारण में जो सरकारी उपायों या योजनाओं का प्रारम्भ हुआ उससे स्पष्ट है कि प्रारम्भ में तीन पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार वृद्धि के लिये सरकार ने कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाये। द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में अनेक पूँजी प्रधान उद्योगों का विकास किया। परिणामस्वरूप तृतीय योजना के अन्त में बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण करना आरम्भ कर दिया। चतुर्थ व विशेष रूप से पंचम एवं छठी योजना में अनेक उपायों की व्यवस्था की गयी और इस समस्या पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

*एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, के.के.पी.जी. कालेज, इटावा।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© ***Eureka Journals 2017. All Rights Reserved.*** **ISSN: 2581-401X**

सातवीं योजना में रोजगार उत्पन्न करने के लिये कृषि क्षेत्र के महत्व को स्वीकारा गया परन्तु यह क्षेत्र सम्पूर्ण बेरोजगारी को दूर नहीं कर सका। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्माण कार्यो के रूप में ग्रामीण पूंजी निर्माण की बात कही गयी। आठवीं योजना व नौवीं योजना में रोजगार सृजन एक मुख्य उद्देश्य था और यह स्वीकार किया गया कि रोजगार के लिये उत्पादन उन क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए जिनकी रोजगार सृजन की क्षमता काफी है। सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिये समय-समय पर जो योजनायें (कार्यक्रम) अपनाये गये हैं उनको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं-सामान्य रोजगार गरीबी निवारण हेतु, विशिष्ट रोजगार गरीबी निवारण हेतु, रोजगार सेवा।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यहाँ की लगभग दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यदि भारत का सर्वांगीण विकास करना है तो गाँवों का जीवन स्तर ऊँचा उठाये बिना यह सम्भव नहीं होगा। वर्तमान में भारत विश्व में मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली देश के आर्थिक विकास की राह में कांटा बनी हुई है। इन क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता इनको अपने जाल में जकड़े है। यहाँ की निर्धनता के लिये बहुत से आर्थिक व सामाजिक कारक उत्तरदायी हैं। इन्हीं कारकों के कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से अनवरत आर्थिक नियोजन के माध्यम से निर्धनता निवारण के अनेकानेक प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्या विद्‌यमान है।

निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रस्तुत की हैं जो प्रत्येक निर्धन के लिये हैं। इनकी जानकारी के लिए मीडिया के माध्यम से गाँव-गाँव, शहर-शहर जानकारी दी जाती रहती है। इसके लिए जिला स्तर पर योजना प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक गरीब तक यह योजना कैसे पहुंचे इसकी जिम्मेदारी गाँव स्तर तक सरकारी विभागीय कर्मचारी तथा समाजसेवी संस्थाओं को सौंपी जाती है, जो योजना सफल करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इन सरकारी कार्यक्रमों का निर्धनता उन्मूलन से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**

तालिका.कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनायें

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के प्रमुख लक्ष्य	वर्ष
1.	खेतिहर मजदूर बीमा योजना	ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खेतिहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के साथ **100** रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना।	2001
2.	किशोरी शक्ति योजना	चिन्हित किशोरियों को पोषाहार देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	
3.	सर्वशिक्षा अभियान	**6-14** वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को वर्ष **2010** तक कक्षा **8** तक की शिक्षा सुनिश्चित करना।	2001-10
4.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	कृषि एवं उद्योगों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था।	1969
5.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सन्तुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।	1972-73
6.	ग्रामीण रोजगार के लिए नगद योजना	ग्रामीण विकास हेतु।	1972-74
7.	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	गरीबी उन्मूलन एवं रहन सहन उच्चीकरण।	1975
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण, शोध तथा सलाहकारी संस्था।	1977
9.	काम के बदले अनाज योजना	विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना।	1977-78
10.	अन्त्योदय कार्यक्रम	गांव के सबसे गरीब परिवारों को स्वावलम्बी बनाना।	1977-78
11.	ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।	1979
12.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।	1980
13.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा)	महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	1982
14.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	भूमिहीन कृषकों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु।	1983

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved. ISSN: 2581-401X

15.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष	दानकर्त्ता के कर में **100** प्रतिशत की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजना हेतु दान प्राप्त करना।	1984
16.	इन्दिरा आवास योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में गृह ऋण और आवास मुहैया कराना।	1985-86
17.	लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट)	ग्रामीण समृद्धि हेतु सहायता।	
18.	नेहरू विकास योजना	ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु।	1985
19.	कुटीर ज्योति योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को विद्युत कनेक्शन।	1988-89
20.	कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना	ग्रामीण कुशल श्रमिकों, कारीगरों, बुनकरों को **1000** रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देना।	1990
21.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	सहायता प्राप्त गरीब व्यक्ति को **3** वर्ष में गरीबी रेखा के ऊपर लाना। इसमें **6** कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया।	1999
22.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	गावों का समग्र विकास योजना।	2000
23.	अन्त्योदय योजना	वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य है, को अनाज **2** रु./किलो गेहूं, **3** रु./किलो चावल उपलब्ध कराना।	2000
24.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।	2001
25.	बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना	शहरी स्लम आबादी को स्वच्छ आवास उपलब्ध कराने हेतु।	2001
26.	महिला स्वयं सिद्धि योजना	महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना।	2001
27.	संकट हरण बीमा योजना	कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना।	2001
28.	स्वजल धारा योजना	ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुएं, बावड़ी, व हैण्डपम्प लगाना।	2002
29.	निर्मल भारत योजना	मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार।	2002
30.	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता	ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत सुविधा उपलब्ध कराना।	2003

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**

	कार्यक्रम		
31.	असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन बीमा व चिकित्सा आदि सुविधा देना।	2004
32.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराना।	2005
33.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना।	2005-06
34.	भारत निर्माण योजना	ग्रामीण अवस्थापना के सर्वांगीण तथा व्यापक विकास।	2005-06

स्रोत- कुरुक्षेत्र, फरवरी **2008**, पृ.सं. **26-27**

तालिका.गांवों व शहरों में निर्धनता रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत

क्षेत्र	**1973-74**	**1993-94**	**1999-2000**	**2004-05**	**2006-07** (अनुमान)
ग्रामीण	56.4	37.3	27.1	21.8	21.1
शहरी	49.0	32.4	23.6	21.7	15.1
संयुक्त	54.9	36.0	26.1	21.8	19.3

वास्तव में गरीबी निवारण को आर्थिक आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य पांचवी योजना से ही माना जाने लगा। सत्तर के दशक के दौरान ग्रामीण गरीबी जनता के लिये बहुत से विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये जिनमें प्रमुख थे- लघु किसान विकास कार्यक्रम, सीमान्त किसान व खेतिहर मजदूर विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्यता क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार का पुरजोर कार्यक्रम, आरम्भिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इनमें से कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो व्यापक हो और पूरे देश में चल रहा हो। हाँ कुछ क्षेत्रों में एक ही वर्ग के लोगों के लिये इनमें से एक से अधिक कार्यक्रम चल रहे थे। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों की लम्बे काल तक रोजगार प्रदान करने की सामर्थ नहीं थी। क्योंकि ये दीर्घकालीन नीति का हिस्सा नहीं थे। वास्तव में ये कार्यक्रम आर्थिक सहायता बांटने का माध्यम बनकर रह गये। इसलिये ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की गयी जो न केवल देश व्यापी हो बल्कि ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम चालू किये गये। **1989** में सरकार ने एक और वृहद रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना नाम से शुरू की। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पहली बार **1978-79** में देश के **2300** विकास खण्डों में लागू किया गया। छठी योजना में इसका पूरे देश में प्रसार किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को इसी समय आरम्भ

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved.
ISSN: 2581-401X

किया गया और इसका उद्देश्य उन लोगों को रोजगार प्रदान करना था जो निर्वाह के लिये मजदूरी पर निर्भर थे और जिनके पास क्षीण कृषि काल में आय का कोई साधन नहीं था। ग्रामीण खेतिहर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम **15** अगस्त **1983** को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को रोजगार प्रदान करना था। हालांकि इन कार्यक्रमों के अधीन लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध है फिर भी यह बताना कठिन है कि गरीबी निवारण क्षेत्र में इन कार्यक्रमों ने क्या सफलता प्राप्त की है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य छोटे व सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण दस्तकारों की सहायता करना था। आयोजकों के अनुसार समाज के ये लोग गरीब थे क्योंकि इनके पास न तो कोई उत्पादक परिसम्पत्तियाँ थीं और न ही कोई विशेष कौशल। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन लोगों को नई परिसम्पत्तियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी। वे इन नई परिसम्पत्तियों के माध्यम से जीविका उपार्जन के लिये आय जुटा सकें। इन परिसम्पत्तियों में सिंचाई के साधन, बैल तथा उपकरण, खेती के लिये बीज तथा उर्वरक, डेरी व पशुपालन के लिये पशु तथा कुटीर उद्योग में हस्तशिल्प के लिये औजार व प्रशिक्षण शामिल थे। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्व-रोजगार कार्यक्रम था जिसमें गरीबों को उत्पादक परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। ताकि वे स्वयं इससे आय पैदा करके गरीबी की रेखा को पार कर सकें। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन रिजर्व बैंक, कृषि व ग्रामीण का राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निष्पति का मूल्यांकन किया है। इन अध्ययनों से यह पता चलता है कि यद्यपि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल **55** से **90** प्रतिशत लोगों को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई थी तथापि **40** प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाये तथा अलग-अलग अध्ययनों में ये संख्या **18** प्रतिशत से लेकर **49.4** प्रतिशत रही। इन अध्ययनों से सामान्य निष्कर्ष यह निकलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी निवारण की दृष्टि से कोई खास कामयाब नहीं रहा और इसमें सुधार की आवश्यकता थी। हमने इन अध्ययनों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निम्न कमियों की ओर संकेत किया है-

1. इस कार्यक्रम में वित्तीय साधनों के आवंटनों को और भैतिक लक्ष्यों प्रत्येक विकास विकास खण्डों के लिये एक समान ही रखा गया और जनसंख्या आकार तथा गरीबी की मात्रा पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे कई बार ऐसे लोगों को सहायता मिली है जो सहायता के पात्र नहीं थे। इस प्रकार का अपात्रों का चुनाव **15-20** प्रतिशत था।
2. योजना का चुनाव अक्सर कार्यक्रमों में शामिल लोगों की योग्यता, आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति, अन्य क्षेत्रों पर सम्भावित प्रभावों इत्यादि को अनदेखा करके किया जाता रहा है।
3. इसके अतिरिक्त इन अध्ययनों में कार्यक्रम के आयोजन में तथा उसके

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**

कार्यान्वयन में कमियों की ओर संकेत किया गया है। जहाँ तक कार्यक्रम के आयोजन का सम्बन्ध है इन अध्ययनों में इस बात की आलोचना की जानी चाहिए कि सभी विकास खण्डों के लिये एक सी योजना बनाई गयी और स्थानीय परिस्थितियों को अनदेखा किया गया है। हालांकि आवश्यकता इस बात की थी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार योजनाएँ बनाई जायें। जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है इन अध्ययन से हम यह कह सकते हैं कि योजना लागू करने के लिये उपयुक्त मात्रा में प्रशिक्षित लोगों की कमी थी तथा भ्रष्टाचार व बेईमानी का बोलबाला था।

अप्रैल **1999** में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसी तरह कुछ अन्य कार्यक्रमों को मिलाकर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भी की गई जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की सहायता करना था। जवाहर रोजगार योजना **1989-90** में शुरू की गयी थी और इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और खेतिहर मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना इस तरह तैयार की गयी थी जिससे ग्रामीण बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को ऐसे निर्माण कार्यां पर जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके, अतिरिक्त अल्पावधि रोजगार देना सम्भव हो। जवाहर रोजगार योजना की भी गरीबी निवारण की दृष्टि से वही कमजोरियाँ थीं जो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और खेतिहर मजदूर गारन्टी कार्यक्रम में थीं। अप्रैल **1999** में जवाहर रोजगार योजना को पुनःगठित कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया। इस समय ग्रामीण गरीबों के कल्याण की दृष्टि से जो कार्यक्रम चल रहे हैं इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया।

1. सामान्य रोजगार गरीबी निवारण हेतु-
2. गरीबी निवारण हेतु विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम-

(1) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-
(2) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-
(3) उद्यमिता विकास कार्यक्रम-
(4) अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (**1991)-**
(5) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)-
(6) सुनिश्चित रोजगार योजना (EAS)-
(7) रोजगार छतरी योजना-
(8) स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना (**1997)-**
(9) ट्रायसेम योजना (**1979)-**
(10) खेतिहर मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (**1983)-**
(11) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWEP)-
(12) शहरी सवेतन रोजगार योजना-
(13) सम्पूर्ण ग्रामीण योजना-

© *Eureka Journals 2017. All Rights Reserved.*
ISSN: 2581-401X

नरेगा-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की शुरुआत वर्ष **2006** में कांग्रेसी सरकार ने की थी। इसका अब नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। इस योजना में गरीबों को खासतौर से महिलायें जो चक्की तथा चूल्हों तक सीमित थीं उनको चक्की और चूल्हों तक न सीमित करके उससे आगे अर्थात् स्वावलम्बी बनाने के लिए नरेगा या मनरेगा में कार्य योजनाएँ चल रही हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण समाज में सबसे उपेक्षित परिवारों, दलितों और आदिवासियों को समुचित रोजगार मुहैया कराना है और सरकार के अनुसार यह योजना काफी सफल रहेगी और गांवों में उपेक्षित परिवारों की कायाकल्प कर देगी।

दिनांक **4** फरवरी **2010** को विज्ञान भवन में आयोजित महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन **2010** में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा सबसे अधिक महिलाओं को स्वावलम्बी करता है जो ग्रामीण महिला चूल्हा चक्की तक सीमित थीं, इस योजना के क्रियान्वयन से उन्हें साल में **100** दिनों का रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

सम्मेलन में पेश की गयी रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले चार सालों में देश में **200** करोड़ श्रम दिवस सृजित किये गये। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये हर वर्ष पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही है। चालू वित्त वर्ष के लिये इस योजना में **39000** करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसमें करीब साढ़े चार करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के तहत मजदूरों को **100** रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह योजना केवल जनता को रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही बल्कि जल संरक्षण और स्वच्छता में भी सहयोग कर रही है। इस योजना में अभी सबसे अधिक काम जल संरक्षण के लिए कराया गया है। इसके अलावा आदिवासियों एवं दलितों एवं गरीबों को खासतौर से सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गयी। इस योजना के तहत दूर दराज के इलाकों में सड़क और भूमि विकास के काम भी कराये गये हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह व श्रीमती सोनिया गांधी जी ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. सी.पी. जोशी की योजना में पारदर्शिता लाने के लिये पीठ भी थपथपाई। इस योजना पर डा. जोशी ने कहा कि इस योजना में कई महत्वपूर्ण कोशिश की गयी हैं। इसमें मजबूत निगरानी तन्त्र विकसित किया गया है। इसलिये देश के मशहूर नागरिकों का सहयोग लिया जा रहा है। यूं तो इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने चिन्ता जताई है।

कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय-समय पर लाभ कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए होता रहा है।

भारत सरकार ने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया और आज भी करती चली आ रही है। इन योजनाओं को मुख्य रूप से गरीबों, ग्रामीणों, बेरोजगारों, महिलाओं, बच्चों,

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved. ISSN: 2581-401X

वृद्धों और पिछड़े वर्गों के लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से समर्थ बनाने के अहम् उद्देश्य को पूरा करने के लिए संचालित किया गया है। अकेले केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व से ही लगभग डेढ़ सैकड़ा योजनाएँ संचालित की गईं हैं। सरकार को नई योजनाओं को चलाने से बेहतर होगा कि वह वर्तमान में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू ढंग से करे और इन सभी योजनाओं में आने वाली कठिनाईयों का समाधान निकाले। जिस गति से संसाधन लगाए जाते रहे और कार्यक्रमों में बदलाव आया, उस गति से गरीब और निर्बल वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव नहीं आ सका, यह बात भी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। भारत में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों पर लगभग **42** करोड़ रु. प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। खाद्यान्न, उर्वरकों, कैरोसिन, रसोई गैस जैसी विभिन्न मदों में सब्सिडी के रूप में अकेले केन्द्र सरकार द्वारा विशाल धनराशि खर्च की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी विभिन्न मदों में सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। इतनी योजनाओं के बावजूद भी आज गरीबी और बेरोजगारी के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जहां एक ओर प्रशासनिक ढांचे में अनेक कमियों के कारण हमारी यह मुहिम प्रभावित हो रही है, वहीं तेजी से बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप संसाधनों में वृद्धि नहीं हो पाने से निर्धनता और बेरोजगारी में सुधार नहीं आ रहा है। यही स्थिति औरैया जनपद की भी है। सरकार के द्वारा यहाँ भी कई गरीबी निवारक योजनायें लागू की गई हैं, लेकिन कई कमियों के कारण ये अपने परिणाम को प्राप्त करने में ज्यादा सफल नहीं रही हैं।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल जी.डी. एवं बंसल पी.सी, इकोनोमिक प्राब्लम्स ऑफ इण्डियन एग्रीकल्चर, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल ए.एन., इण्डियन एग्रीकल्चर नेचर, प्राब्लम्स एण्ड प्रोग्रेस, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. अग्रवाल डा. एन.एल., भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
4. अरोड़ा आर.सी., उद्योग एवं ग्रामीण विकास, **1978**
5. अजहर नीलोफर, एग्रीकल्चर प्रोडेक्टिविटी एण्ड स्टैण्डर्ड न्यूट्रीशन यूनिट इन यूपी.।
6. एसबी, एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स इन इण्डिया।
7. कुरियन एन.जी., ग्रामीण भारत में रोजगार सुविधायें।
8. केदारनाथ पी., द इकोनोमिक्स ऑफ ए बैकवर्ड रीजन इन बैकवर्ड इकोनोमी, साइन्टिफिक बुक एजेन्सी।
9. खान एन.ए., प्राब्लम ऑफ ग्रोथ इन अण्डरडेवलप्ड इकोनोमी इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।
10. गुप्ता एच.सी., डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।

© Eureka Journals 2017. All Rights Reserved.
ISSN: 2581-401X